भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2110

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हुनर से रोजगार तक योजना

†2110. श्री बस्तीपति नागराजूः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुनर से रोज़गार तक पहल के लाभार्थियों की लिंग, जिला-वार और आयु समूह के आधार पर वर्गीकृत की गई संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्य और जिले-वार वर्गीकृत पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्य और जिला-वार वर्गीकृत पहल के अंतर्गत नौकरी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में हुनर से रोज़गार तक पहल की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय "सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है । इन कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक (एचएसआरटी), उद्यमिता कार्यक्रम (ईपी), कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन (एसटी एंड सी), पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम (टीएपी), आदि शामिल हैं ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम या तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और सरकारी संस्थानों अथवा पैनलबद्ध निजी संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं ।

राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश में 63 उम्मीदवारों के लिए सीबीएसपी योजना के तहत कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन (एसटी एंड सी) कार्यक्रम आयोजित किया है ।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत 1740 अभ्यर्थियों को सुग्राही बनाया गया है । विरासत पर्यटन पर ऑनलाइन लघु अवधि के पाठ्यक्रम (शॉर्ट टर्म कोर्सेज) के माध्यम से 103 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है । आंध्र प्रदेश में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रमाणन (आईआईटीएफसी) के टूर गाइड कार्यक्रमों के तहत 192 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान नए अभ्यर्थियों के लिए सामान्य मानदंडों के अनुसार उत्तीर्ण छात्रों (20% स्वरोजगार सहित) का 70% नियोजन सुनिश्चित करें । कार्यक्रम के प्रचार के लिए कार्यान्वयन संगठन समाचार पत्रों में विज्ञापन, अपनी वेबसाइट पर, व्यापार संघों, राज्य पर्यटन निगमों, व्यापार मंडलों, चर्चाओं/ कार्यशालाओं, टीवी/रेडियो आदि पर वार्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार करें ।

*****